बुनियादी शिक्षा की विशेषताएँ

(1) बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की अवधि 7 वर्ष की है।

(2) 7 से 14 वर्ष के बालकों एवं बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए।

(3) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है। हिंदी भाषा का अध्ययन बालकों तथा बालिकाओं के लिए अनिवार्य है।

(4) संपूर्ण शिक्षा का संबंध आधारभूत शिल्प से होता है।

(5) चुने हुए शिल्प की शिक्षा देकर अच्छा शिल्पी बनाकर स्वावलम्बी बनाया जाए।

(6) शिल्प की शिक्षा इस प्रकार दी जाए कि बालक उसके सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व को समझ सके।

(7) शारीरिक श्रम को महत्व दिया गया ताकि सीखे हुए शिल्प के द्वारा जीविकोपार्जन कर सके।

(8) शिक्षा बालकों के जीवन, घर, ग्राम तथा ग्रामीण उद्योगों, हस्तशिल्पों और व्यवसाय घनिष्ट रूप से संबंधित हों।

(9) बालकों द्वारा बनाई गई वस्तुएं जिनका प्रयोग कर सके एवं उनको बेचकर विद्यालय के ऊपर कुछ व्यय कर सकें।

(10) बालकों एवं बालिकाओं का समान पाठ्यक्रम रखा जाए।

(11) छठवीं और सातवीं कक्षाओं में बालिकाएं आधारभूत शिल्प के स्थान पर गृहविज्ञान ले सकती हैं।

(12) पाठ्यक्रम का स्तर वर्तमान मैट्रिक के समकक्ष हो।

(13) पाठ्यक्रम में अंग्रेजी और धर्म की शिक्षा नहीं दी गई है।